रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 1978/आषाढ़ 29, 1900
No. 144] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1978/ASADHA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 52 आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1978

**आयात व्यापार नियंत्रण**

विषय:—व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों के लिए फालतू पुर्जों का आयात

मि० सं० आई पी सी/3/15/78:—1978-79 आयात नीति के परिशिष्ट 16 की कंडिका 1(क) में दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनके पास आयातित मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर है, अपने उपयोग के लिए उनके लिए एक वित्तीय वर्ष में 2,500 रुपये लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक प्रति वाहन/ट्रैक्टर के फालतू पुर्जों का आयात कर सकते हैं और यह आयात सीमा शुल्क अधिकारियों को उनकी निकासी के समय यह प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन है (1) संबन्धित वाहन और ट्रैक्टर के लिए वैध पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत करों का किया गया अद्यतन भुगतान का प्रमाण पत्र और (2) इस बारे में एक घोषणा कि उसी मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर के लिए उसी वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही आयात किए हुए ऐसे सामान का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 2,500 रुपये से अधिक नहीं है।

2. यह निश्चय किया गया है कि वे पंजीकृत संस्थाएं और सहकारी समितियां जिनके पास उनके सदस्यों के रूप में आयातित मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर है, वे भी उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसे सदस्यों के नाम में फालतू पुर्जों का आयात कर सकते हैं।

3 आयातित माल की निकासी के समय और आयातों का प्रेषण करते समय, सम्बन्धित संस्था/सहकारिता समिति सीमा शुल्क प्राधिकारियों/विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी:—

(क) जिनके नाम में आयात किया गया है, उन सदस्यों की सूची जिसमें यह दिया हुआ हो—(1) सदस्य का नाम और पता (2) सदस्य द्वारा रखे हुए आयातित मोटर वाहन/ट्रैक्टर का मेक (3) वाहन/ट्रैक्टर के पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और दिनांक (4) तारीख जिस तक पंजीकरण प्रमाणपत्र वैध है और (5) सम्बन्धित सदस्य के लिए आयातित फालतू पुर्जों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य।

(ख) संस्था/सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य से विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित, इस आशय का घोषणापत्र कि सदस्य ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अधीन करों का अद्यतन भुगतान कर दिया है और उसी वित्तीय अवधि में उन्हीं मोटर वाहनों या कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहले से आयातित माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य 2,500 रुपये से अधिक नहीं है। घोषणापत्र में सम्बद्ध सदस्य को बताना चाहिए कि उसने सम्बद्ध संस्था/सहकारी समिति को उसके नाम में आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ग) संगत अधिनियमों के अधीन सम्बद्ध संस्था या सहकारी समिति का वर्तमान वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र।

4. यह शर्त होगी कि जिन व्यक्तिगत सदस्यों के लिए आयात किया गया है, उन्हें ही, आयात करने वाली संस्था/सहकारी समिति द्वारा आयातित फालतू पुर्जे संवितरित किए जाएंगे। संस्था/सहकारी समिति ऐसे सभी आयात और वितरण का लेखा रखेगी (रजिस्टर के रूप में) और यह

रजिस्टर लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए, सभी समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

5. लेकिन, वास्तविक उपयोक्ता शर्त, ऐसे सभी मामलों में लागू होगी, मानों आयात व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा उनकी स्वयं की इच्छा पर सीधे ही किया गया था।

का० बें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

**(Department of Commerce)**

PUBLIC NOTICE NO. 52-ITC(PN)/78

New Delhi, the 20th July, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject :—Import of spares for motor vehicles and agricultural tractors for personal use.

**F. No. IPC/3/15/78.**—Attention is invited to the provisions made in para 1(e) in Appendix 16 to the Import Policy, 1978-79, according to which persons owning imported motor vehicles or agricultural tractors can import spares for them upto a c.i.f. value of Rs. 2,500 per vehicle/tractor, in a financial year, for their own use, subject to the production to the customs authorities at the time of their clearance (i) valid registration certificates for the vehicle or tractor concerned and with upto-date payment of taxes under the Motor Vehicles Act, 1939, and (ii) a declaration to the effect that the c.i.f. value of such goods already imported during the same financial year for the same motor vehicle or agricultural tractor does not exceed Rs. 2,500.

2. It has been decided that registered Associations and Co-operative Societies having owners of imported motor vehicles or agricultural tractors as their members, may import spares on behalf of such members in accordance with the aforesaid provisions.

3. At the time of clearance of imported goods and at the time of remittance towards imports, the concerned Association/Co-operative society shall produce the following documents to the customs authorities/foreign exchange dealers:—

(a) A list of the members on whose behalf the import has been made, giving (i) the name and address of the member, (ii) make of the imported motor vehicle/tractor owned by the member, (iii) No. and date of registration certificate of the vehicle/tractor, (iv) the date upto which the registration certificate is valid and (v) the c.i.f. value of spares imported for the member concerned.

(b) A declaration from each member, duly countersigned by the Association/Co-operative Society, to the effect that the member has made upto-date payment of taxes under the Motor Vehicles Act, 1939 and that the c.i.f. value of such goods already imported during the same financial year for the same motor vehicle or agricultural tractor, does not exceed Rs. 2,500. In the declaration, the member concerned should also state that he has authorised the Association/Co-operative Society concerned to effect imports on his behalf.

(c) The currently valid certificate of registration of the concerned Association or Co-operative Society under the relevant statute.

4. It shall be a condition that the imported spares shall be supplied by the importing Association/Co-operative Society to the individual members for whom the import is made. The Association/Co-operative Society shall keep an account (in the form of a register) of all such imports and distribution and it shall be available for inspection by the licensing authority or any other authority concerned in this behalf, at all times.

5. The Actual User condition shall, however, apply in all such cases, as if the imports had been made by the individual members on their own volition, directly.

K. V. SESHADRI, Chief Controller
of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978